न्यायालय उप जिलाधिकारी, फरीदपुर (बरेली) ।

वाद सं0 टी 20141213032824 धारा–143यू0पी0जे0ए0एल0आर0एक्ट
ग्राम गौसगंज सराय परगना व तहसील
फरीदपुर जिला बरेली।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता मैमोरियल ट्रस्ट बनाम सरकार

~~उक्त~~ निर्णय आदेश दिनांक 28-8-14

श्री मुकेश कुमार गुप्ता अध्यक्ष श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता मैमोरियल ट्रस्ट 19 एम0आई0जी0 आवास विकास कालोनी बरेली ने दिनांक 21–03–2014 को प्रार्थना–पत्र, शपथ–पत्र अन्तर्गत धारा–143 जे0ए0एल0आर0एक्ट एवं उसके साथ संलग्न उद्धरण खतौनी 1416 फ0 से 1421 फ0 ग्राम गौसगंज सराय खाता सं0–94 गाटा सं0–<u>373</u> रकबा 0.082 हे0 लगान 1.26 पैसा स्थित ग्राम गौसगंज सराय परगना व तहसील फरीदपुर जनपद बरेली का काबिज मालिक व दखील है । वादग्रस्त आराजी को वादी शिक्षण कार्य के रूप में उपयोग करना चाहता है। वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि को अकृषक घोषित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उक्त प्रार्थना–पत्र की जांच तहसीलदार, फरीदपुर से करायी गयी। तहसीलदार, फरीदपुर ने अपनी आख्या दिनांक 25–08–2014 में यह उल्लेख किया है कि ग्राम गौसगंज सराय परगना व तहसील फरीदपुर जिला बरेली के ग्राम गौसगंज सराय खाता सं0–94 गाटा सं0–373 रकबा 0.082 हे0 लगान 1.26 पैसा स्थित ग्राम गौसगंज सराय भूमि का उपयोग कृषि कार्य बागवानी व पशुपालन मत्स्य संवर्धन कुक्कुट पालन भी आता है नहीं किया जा रहा है । उक्त क्षेत्रफल में आधुनिक औद्योगिक / आबादी हो गयी है को, धारा–143 ज0वि0 एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम नियमावली के नियम–135 के अन्तर्गत अकृषिक भूमि घोषित किये जाने की संस्तुति की है।

आदेश

अतः तहसीलदार फरीदपुर की आख्या दिनांक 25–08–2014 के आधार पर ग्राम गौसगंज सराय परगना व तहसील फरीदपुर जिला बरेली के खाता सं0–94 गाटा सं0–373 रकबा 0.082 हे0 भूमि के क्षेत्रफल का उपयोग कृषि कार्य बागवानी व पशुपालन मत्स्य संवर्धन कुक्कुट पालन भी आता है नहीं किया जा रहा है, को अकृषिक घोषित किया जाता है। ज0वि0अधि0 की धारा–143 तद्विषयक नियमावली के नियम–135 के अन्तर्गत यह आदेश दिये जाते हैं कि आदेश की दो प्रति उप निबंधक फरीदपुर को इस आशय से भेजी जाये कि वह प्रश्नगत आराजी को निःशुल्क अकृषिक भूमि पंजीकृत कर अनुपालन उपरांत एक प्रति न्यायालय को वापस करें। तदोपरांत खतौनी में प्रविष्ट हेतु आदेश की प्रति तहसीलदार, फरीदपुर को भेजी जाये । बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक : 28–08–2014

हस्ताक्षर अपठनीय

(उमेश कुमार मंगला)
उप जिलाधिकारी,
फरीदपुर।

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :बरेली,जनपद :बरेली,तहसील :फरीदपुर
वाद संख्या :-03289/2018
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या :-T201812130303289
राजेन्द्र कुमार गुप्ता मैमोरियल ट्रस्ट बनाम सरकार
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

~~आदेश~~ निर्णय आदेश दिनांक 28-11-18

इस वाद की कार्यवाही श्री मुकेश कुमार गुप्ता पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता निवासी 19 एमआईजी आवास विकास, सिविल लाइन्स बरेली अध्यक्ष श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता मैमोरियल ट्रस्ट के प्रार्थना पत्र पर प्रारम्भ हुई। वादी ने अपने प्रार्थना पत्र मे अंकित किया है कि आराजी खाता सं0 38 गाटा संख्या 372 रकवा 0.393है0 स्थित ग्राम गौसगंज सराय परगना व तहसील फरीदपुर जिला बरेली मे स्थित है। वादग्रस्त भूमि पर वादी का कब्जा व दखल है, एव अकृषिक कार्य में प्रयुक्त हो रही है। वादग्रस्त आराजी पर वादी द्वारा निर्माण कार्य कराया जा रहा है। वादी वादग्रस्त आराजी को अकृषिक घोषित कराना चाहता है, तथा माननीय न्यायालय द्वारा अकृषिक घोषित कराया जाना कानूनी रूप से उचित व आवश्यक है। वाद ग्रस्त आराजी पर वादी द्वारा शिक्षण संस्थान हेतु अकृषिक घोषित किये जाने से राज्य सरकार को भविष्य में पर्याप्त आय स्टाम्प शुल्क आदि के रूप में प्राप्त होने की प्रबल सम्भावना है। वादग्रस्त आराजी विवाद रहित है। माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार मे स्थित है तथा माननीय न्यायालय को वाद उपरोक्त की सुनवाई किये जाने का पूर्ण क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

वादी के प्रार्थना पत्र की तहसीलदार फरीदपुर द्वारा जांच कराई गई, तहसीलदार फरीदपुर द्वारा अपनी जांच आख्या दिनांक 19.11.2018 को प्राप्त हुई। तहसीलदार फरीदपुर ने अपनी जांच आख्या मे अंकित है कि ग्राम गौसगंज सराय के खाता सं0 38 गाटा संख्या 372 रकवा 0.393है0 पर कृषि कार्य नही किया जा रहा है, वादग्रस्त आराजी पर निर्माण कार्य चल रहा है। उक्त क्षेत्रफल अकृषिक है। अतः ग्राम गौसगंज सराय के खाता सं0 38 गाटा संख्या 372 रकवा 0.393है0 उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 की धारा 80(1) के अन्तर्गत अकृषिक घोषित किये जाने की रिपोर्ट प्रेषित की गई है। वादी द्वारा उदघोषणा शुल्क जो (जिलाधिकारी बरेली द्वारा निर्धारित सर्किल रेट) राजस्व नियमावली 2016 के अनुसार आगणित शुल्क 31,050/- जो संलग्न पत्रावली चालान द्वारा भारतीय स्टेट बैंक शाखा फरीदपुर मे दिनांक 27.11.2018 को जमा किया जा चुका है। तहसीलदार फरीदपुर रिपोर्ट पर कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र तथा तहसीलदार फरीदपुर की आख्या से सहमत होते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

उपर्युक्त के आधार पर वादी श्री मुकेश कुमार गुप्ता पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता निवासी 19 एमआईजी आवास विकास, सिविल लाइन्स बरेली अध्यक्ष श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता मैमोरियल ट्रस्ट का प्रार्थना पत्र दिनांक 24.10.2018 एव